



Neutral Citation No. - 2026:AHC:161170

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 17622 वर्ष 2025

पंकज राय और 2 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : श्रीप्रकाश राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अंकित कुमार राय, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 83

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीप्रकाश राय, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित कुमार राय तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“अतः, अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक इस आवेदन को स्वीकार करते हुए, केस संख्या 218/2024 'राज्य बनाम पंकज राय और अन्य, जो मुकदमा अपराध संख्या 792/2022, धारा 498-ए, 323, 504, 506 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम, थाना-धूमनगंज, जनपद प्रयागराज से उत्पन्न हुआ है तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 16, इलाहाबाद के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जिसमें दिनांक 06.02.2024 का आक्षेपित आरोप-पत्र तथा दिनांक 21.03.2024 का आक्षेपित समन आदेश भी सम्मिलित हैं, निरस्त करने की कृपा करें।”

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक निर्दोष हैं और वर्तमान मामले में उन्हें झूठा फंसाया गया है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक संख्या 1, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 का पति है, आवेदक संख्या 2 ससुर है तथा आवेदक संख्या 3 सास है। आवेदक संख्या 1 का विवाह प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के साथ दिनांक 10.02.2022 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने झूठे एवं निराधार आरोपों के आधार पर आवेदकों तथा आवेदक संख्या 1 की ननद/भाभी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 तथा अन्य साक्षियों के बयान दर्ज किए गए। जांच के उपरांत आवेदकों तथा आवेदक संख्या 1 की उक्त रिश्तेदार के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया और विद्वान मजिस्ट्रेट ने उस पर संज्ञान लिया। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदकों तथा आवेदक संख्या 1 की उक्त रिश्तेदार ने संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 25340 वर्ष 2024 दाखिल किया था, किंतु इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा वर्तमान आवेदकों के संबंध में उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया तथा आवेदक संख्या 1 की उक्त रिश्तेदार के



संबंध में स्थगन प्रदान किया गया। तत्पश्चात, आवेदक संख्या 1 तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने आपसी सहमति से अपने विवाद का निपटारा कर लिया और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के अंतर्गत याचिका संख्या 1753 वर्ष 2024 दाखिल की तथा दिनांक 06.03.2025 के आदेश द्वारा उनका विवाह विच्छेदित कर दिया गया। इसके पश्चात, दिनांक 23.04.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त कार्यवाही केवल आवेदक संख्या 1 की उक्त रिश्तेदार के विरुद्ध निरस्त की गई। अब पक्षकारों के मध्य हुए उपर्युक्त समझौते के आधार पर वर्तमान आवेदकों के विरुद्ध संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु यह आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 को स्थायी भरण-पोषण के रूप में ₹6,00,000/- प्राप्त हो चुके हैं, अतः आवेदकों के विरुद्ध संपूर्ण कार्यवाही निरस्त की जा सकती है।

4. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने आवेदक संख्या 1 से ₹6,00,000/- प्राप्त कर लिए हैं और यदि आवेदकों के विरुद्ध लंबित आक्षेपित कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
5. पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर किसी मामले को निरस्त किए जाने के संबंध में विधि सुस्थापित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि जिन मामलों में पक्षकारों ने अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, उन्हें निरस्त किया जा सकता है:- **(1) बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य: (2003) 4 एस सी सी 675; (2) निखिल मर्चेट बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन: (2008) 9 एस सी सी 677; (3) मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य: (2008) 16 एस सी सी 1; (4) ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य: (2012) 10 एस सी सी 303; (5) सैफुल्ला और अन्य बनाम यू.पी. राज्य और अन्य: 2013 (83) ACC 278; तथा**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(6) पर्वतभाई अहीर उर्फ पर्वतभाई उर्फ भीमसिंहभाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य

और अन्य: (2017) 9 एस सी सी 641।

6. अभिलेख के परिशीलन तथा इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत, वर्तमान मामला इस न्यायालय द्वारा आवेदकों द्वारा की गई प्रार्थना के अनुसार कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है।
7. वर्तमान आवेदकों के संबंध में उपर्युक्त मामले की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।
8. वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

03 अगस्त, 2026

विजय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।